न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 33 / 2022

अपीलांट – टीकमाराम पुत्र प्रभाराम जाति मेघवाल निवासी सरली कला तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. अमराराम पुत्र प्रभाराम
2. गेनाराम पुत्र प्रभाराम
   जाति मेघवाल निवासी सरली कला तहसील व जिला बाड़मेर
3. तहसीलदार बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 42 दिनांक 18.10.2021 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी की भूमि को विभाजित करने हेतु पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुनील बीएल रामावत एवं श्री पदमाराम परिहार, अधिवक्तागण अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुखदेव जाखड, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 व 2 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 02.08.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक 42 दिनांक 18.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा सरली कलां के खेत खसरा नबंर 47, 48 एवं 49 रकबा क्रमशः 0–05, 0–03 एवं 134–16 बीघा कुल रकबा 165–04 बीघा के सहखातेदारान [illegible] अमरा गेना पि0 प्रभा कौम मेगवाल सा0 देह ने दिनांक 18.10.2021 को [illegible] गांवों के संग अभियान 2021 के तहत तहसीलदार [illegible] के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्र[illegible]कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनु[illegible]र आपसी रजामंदी व[illegible]ता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत सरली द्वारा की गई तथा हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पटवारी सरली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी मौजा सरली कलां के खाता संख्या 32 खसरा नं. 47, 48, 49 कुल रकबा 165–04 बीघा का विभाजन प्रस्ताव संलग्न नक्शा एव इकरारनामा अनुसार सही है, मौके पर उक्त खातेदारान इसी अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक खातेदार का रकबा व लगान हिस्से के अनुसार सही हैं तथा सभी खातेदारान इससे सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 42 दिनांक 18.10.2021 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.05.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक भूल की है। हल्का पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा–काश्त अनुसार विभाजन रेखा डालकर नक्शा तैयार करने का आश्वासन दिया जाने पर अपीलांट ने अपने भाइयों रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के कहे अनुसार खाली कागजों पर हस्ताक्षर कर दिये। हल्का पटवारी के कहने पर अनपढ़, वृद्ध एवं ग्रामीण अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने नक्शे व जमाबंदी पर हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान करके विभाजन प्रस्ताव प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। हल्का पटवारी ने मौके पर कब्जे–काश्त के विपरीत विभाजन नक्शा तैयार कर दिया। अपीलांट ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका तथा उसके कैम्प से चले जाने के बाद विभाजन आवेदन तहसीलदार बाड़मेर से तस्दीक करवा दिया। फलस्वरूप अपीलांट के हिस्से में आई भूमि मौके पर रेस्पोडेंट्स के कब्जे में है तथा रेस्पोडेंट्स के हिस्से में आई भूमि अपीलांट के कब्जे में है। नतीजतन मौके पर कब्जा–काश्त एवं नक्शा ट्रेस में भिन्नता होने से अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया कि अपीलांट अर्सा 10 दिन पूर्व अपीलांट द्वारा सीमाज्ञान आवेदन न्यायालय में पेश करने हेतु वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी व नक्शा की नकलें दिनांक 11.05.2022 प्राप्त की तब ही उसे गलत विभाजन एवं तरमीम की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी होने की दिनांक से सम्यक तत्परता से जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई सद्भाविक देरी को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं। अतः अपीलांट की यह अपील अन्दर मयाद शुमार की जाकर अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश निरस्त फरमाया जावें।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब में अपीलांट की अपील की ताईद करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि में सभी सहखातेदार आपसी सहमति से किये बाहमी बंटवाडा अनुसार कब्जा–काश्त हैं तथा मौके पर पक्षकारान की पृथक–पृथक आवासीय ढाणियां बनी हुई हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की यह अपील स्वीकार करते हुए मौके पर भूमि का सही रूप से विभाजन किये जाने हेतु सहमत है।

7. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सरली कलां के खेत खसरा नबंर 47, 48 एवं 49 रकबा क्रमशः 0–05, 0–03 एवं 134–16 बीघा कुल रकबा 165–04 बीघा के सहखातेदारान टीकमा अमरा गेना पि0 प्रभा कौम मेगवाल सा0 देह ने दिनांक 18.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत सरली द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी [illegible] द्वारा [illegible] प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी मौजा सरली कलां के खाता [illegible] खसरा नं. 47, 48, 49 कुल रकबा 165–04 बीघा का [illegible] नक्शा एवं इकरारनामा अनुसार सही है, मौके पर उक्त खातेदारान इसी अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक खातेदार का रकबा व लगान हिस्से के अनुसार सही हैं तथा सभी खातेदारान इससे सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 42 दिनांक 18.10.2021 पारित किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का कथन है कि हल्का पटवारी ने मौके पर कब्जे–काश्त के विपरीत विभाजन नक्शा तैयार कर दिया। अपीलांट ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से इसका ज्ञान उसे नहीं हो सका तथा उसके कैम्प से चले जाने के बाद विभाजन आवेदन तहसीलदार बाड़मेर से तस्दीक करवा दिया। अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांट के हिस्से में आई भूमि मौके पर रेस्पोडेंट्स के कब्जे में है तथा रेस्पोडेंट्स के हिस्से में आई भूमि अपीलांट के कब्जे में है। रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अभिकथनों को स्वीकार करते हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर पुनः नये सिरे से कब्जा–काश्त अनुसार विभाजन करने हेतु सहमति प्रकट की है। लिहाजा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार नहीं होने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपील की ताईद कर तथ्यों की स्वीकारोक्ति प्रकट की गई है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सही आधारों पर प्रस्तुत की गई है तथा मौके पर पक्षकारान जिस प्रकार काबिज हैं उस अनुसार उनका विभाजन नहीं हुआ है, ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश अपास्त करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन कराया जाना उचित है। इस प्रकार उभय पक्ष द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 42 दिनांक 18.10.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.09.22 16:27:33 IST
Reason: SelfAttested

9. निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर